न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :—सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0:—545/2025

1. रिछपाल पुत्र मक्खनसिह जाति बावरी निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

2 तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

प्रतिवादी

राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 धारा 88,

उपस्थिति :—श्री रोहीताश चाहर अधिवक्ता **वादी**
श्री राजपैरोकार **प्रतिवादीगण**

निर्णय

दिनांक: 17/4/26

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है चक 4 केएचआर के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 30/125 में कुल 3.162 है0 आराजी में वादी का 1/3 हिस्सा आराजी दर्ज है जिसमें वादी का नाम लिछमण सिह पुत्र मखन सिह दर्ज है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की चरण सं0 2 में दर्ज आराजी में वादी का नाम लिछमण सिह पुत्र मखनसिह अंकित है जबकि वादी का सही नाम रिछपाल व वादी के पिता का नाम मक्खनसिह है जो वादी के आधार कार्ड, पहचान—पत्र, राशनकार्ड, जनआधार कार्ड में दर्ज है तथा वादी के आधार कार्ड, पहचान—पत्र, राशनकार्ड, जनआधार कार्ड आदि की फोटो प्रति संलग्न वाद पत्र है । लिछमणसिह पुत्र मखनसिह तथा रिछपाल पुत्र मक्खन सिह, दोनो नाम वादी के है तथा उक्त नामो से वादी को जाना व पहचाना जाता है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा एक प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है। असल प्रमाण पत्र संलग्न वाद पत्र है। वादी का नाम वादी के राजस्व रिकार्ड चक 4 केएचआर के. खाता सं0 30/125 में वादी का नाम लिछमणसिह पुत्र मखनसिह दर्ज रहने से व तथा वादी के अन्य दस्तावेजात आधारकार्ड, राशनकार्ड, पहचान—पत्र, जनआधार कार्ड आदि में वादी का सही नाम रिछपाल पुत्र मक्खनसिह दर्ज रहने से वादी के नाम में भिन्नता बनी रहती है जिस कारण से वादी को अपनी भूमि की फार्मर आई.डी. बनवाने, आराजी पर बैंक से ऋण लेने व वितीय संस्थाओं से मिलने वाली सुविधाओं से वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादी घोषणा इस आशय की प्राप्त करने का अधिकारी है कि चक 4 केएचआर के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 30/125 में वादी का नाम लिछमण सिह पुत्र मखनसिह को दुरूस्त करवाकर सही नाम रिछपाल पुत्र मक्खनसिह दर्ज करवाने का अधिकारी व दावेदार है। वादी ने प्रतिवादी को कई दफा निवेदन किया कि वादपत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी श्वादी का नाम लिछमणसिह पुत्र मखनसिंह के स्थान पर नाम दुरूस्त करवाकर सही नाम रिछपाल पुत्र मक्खनसिंह अंकित कर देवे तो प्रतिवादी ने सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने का कहा, बस यही बिनाय दावा है

6. यह कि वादी का वाद पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है जो अन्दर मियाद तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है। लिहाजा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः—

के कि घोषित किया जावे कि चक 4 केएचआर के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के

उपखण्ड अधिकारी एवं
देन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

खाता सं0 30/125 में वादी का नाम लिछमणसिह पुत्र मखनसिह को दुरूस्त कर सही नाम रिछपाल पुत्र मक्खनसिंह दर्ज किया जावे।
ख.कि खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।
ग.कि अन्य कोई अनुतोष बहक वादी हो तो दिलाया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार राजस्व टिब्बी से जवाब प्राप्त किया गया वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार राजस्व टिब्बी से जवाब प्राप्त किया गया तहसीलदार राजस्व टिब्बी/राजपैरोकार ने जवाब स्टेट पेश किया कि वादी का नाम दुरस्त किया जाता है तो कोई राज्यहित प्रभावित नही होता है।
वाद के समर्थन में वादी द्वारा मुख्य परीक्षा शपथ पत्र आदेश 18 निमय 4 सीपीसी पेश किया वाद के समर्थन में वादी द्वारा जमाबंदी चक 4 आरके खाता स0 30/125 प्रदर्श 1 आधार कार्ड वादी प्रदर्श 2ए, मतदाता पहचान पत्र वादी प्रदर्श 3ए, राशनकार्ड प्रदर्श 4ए, पटवारी रिपोर्ट प्रदर्श 5ए, बैंक पासबुक्स प्रदर्श 6ए आदि दस्तावेज प्रदर्श करवाए।

वादी द्वारा वाद के समर्थन वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो प्रदर्श 1 ता प्रदर्श 6 ए आदि में वादी का नाम रिछपाल पुत्र मक्खनसिंह दर्ज है। प्रस्तुत दस्तावेजो एवं तहसीलदार राजस्व टिब्बी के जवाब अनुसार वादी का सही नाम दुरस्त किया जाकर लिछमण सिंह पुत्र मखन सिंह के स्थान पर रिछपाल पुत्र मक्खनसिह किया जाना न्यायोचित है। वाद वादी स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक 4 केएचआर के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 30/125 में वादी का नाम लिछमणसिह पुत्र मखनसिह को दुरूस्त कर सही नाम रिछपाल पुत्र मक्खनसिंह किये जाने की घोषणा की जाती है।यदि वादी पर किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रकरण या कोई सरकारी देय बकाया हो तो पूर्व नाम ही मान्य होगा। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पर्चा डिक्री जारी हो।
निर्णय आज दिनांक 17/4/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :—सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0:—545/2025

1. रिछपाल पुत्र मक्खनसिह जाति बावरी निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

1 तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

प्रतिवादी

डिक्री दिनांक 17/4/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महेश गौड व प्रतिवादी राजपैरोकार अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:— वाद वादी स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक 4 केएचआर के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 30/125 में वादी का नाम लिछमणसिह पुत्र मखनसिह को दुरूस्त कर सही नाम रिछपाल पुत्र मक्खनसिंह किये जाने की घोषणा की जाती है। यदि वादी पर किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रकरण या कोई सरकारी देय बकाया हो तो पूर्व नाम ही मान्य होगा। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/4/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।